पंचायत
24/9/21

(13)

राजस्थान सरकार

वित्त (मार्गोपाय) विभाग

क्रमांकःप.16(1)वि.मा./2021 जयपुर, दिनांक 23 सितम्बर, 2021

अधिसूचना

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान के पत्रांक एफ 7(2)(1)पंचा/रानिआ/2021/4583 दिनांक 17.09.2021 द्वारा घोषित संलग्न चुनाव कार्यक्रम के अनुसार राज्य के 33 जिलों में पंचायती राज संस्थाओं में सरपंच एवं वार्ड पंचों के रिक्त पदो पर उप चुनाव दिनांक 28.09.2021 कार्यक्रम की घोषणा की गई है। इस सन्दर्भ में भारत सरकार के गृह मन्त्रालय की अधिसूचना संख्या 20/25/56 पब./1 दिनांक 8 जून, 1957 के साथ पठित, परक्राम्य लिखित अधिनियम, 1881 (1881 का अधिनियम 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण के अधीन राजस्थान के राज्यपाल एतद्द्वारा घोषणा करते हैं कि राजस्थान की पंचायती राज संस्थाओं के उक्त उप चुनाव दिनांक 28.09.2021 (मंगलवार) को (संलग्न चुनाव कार्यक्रम के अनुसार) मतदान होने की स्थिति में संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में परक्राम्य लिखित अधिनियम (NI Act) 1881 के अन्तर्गत अवकाश रहेगा, ताकि उन क्षेत्रों के मतदाता मतदान कर सकें।

संलग्न : उपरोक्तानुसार

राज्यपाल की आज्ञा से

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक (बजट)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित हैः-

1.मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2.सचिव, भारत सरकार, वित्त मन्त्रालय (आर्थिक मामलात विभाग) बैंक प्रभाग, नई दिल्ली।
3 सचिव, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर।
4.प्रमुख शासन सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, राजस्थान।
5.प्रमुख शासन सचिव, मुख्य मंत्री अभाव अभियोग प्रकोष्ठ, राजस्थान, जयपुर।
6.सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
7.प्रधान महालेखाकार, (लेखा एवं हक) राजस्थान, जयपुर।
8.समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव।
9. संभागीय आयुक्त, जयपुर, जोधपुर, कोटा एवं भरतपुर, राजस्थान।
10.सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
11.सम्बन्धित जिला कलक्टर, राजस्थान।
12.निदेशक, जनसम्पर्क निदेशालय, जयपुर (पांच प्रतियों सहित)।
13.अधीक्षक, केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को राजस्थान राजपत्र के आगामी अंक में अधिसूचना के प्रकाशन हेतु।

C:\2006\chouhan\elec.doc

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकःएफ. 7(2)(1)/पंचा/रानिआ/2021/ 4713 दिनांकः 24.09.2021

प्रतिलिपि समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर) राजस्थान को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उपसचिव 24.9.2021
राज्य निर्वाचन आयोग